

प्रेषिका,

नीतिका राजपूत
अपर सिविल जज (अवर खण्ड),
न्याय.कक्ष संख्या-08,
बुलन्दशहर।

सेवा में,

आदरणीय महानिबंधक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा: माननीय जिला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

विषय: शासनादेश संख्या 1705/दो-4-2011-45(12)91/टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 03.01.2012 एवं शासनादेश संख्या 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 13.05.2010 के अनुसार उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में मेरे चयन के समय विधि स्नातकोत्तर (LL.M) उपाधि धारक होने के कारण तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय मेंहगाई भत्ता नियुक्ति की तिथि 15.11.2019 से प्रदत्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विज्ञप्ति संख्या 4055/एडमिन (सर्विसेस)/2019 दिनांकित 14.11.2019 के अनुपालन में प्रार्थीया ने दिनांक 15.11.2019 को अपर सिविल जज (अवर खण्ड) बुलन्दशहर (Newly created Court created vide G.O No-10/2016/870/saat nyay-2-2016-85G/2012 Dated 06-07-2016) के पद पर पदभार ग्रहण किया है। प्रार्थीया उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन के समय विधि स्नातकोत्तर (LL.M) होने के कारण पदभार ग्रहण करने की दिनांक 15.11.2019 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय मेंहगाई भत्ता प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थीया द्वारा उपरोक्त विधि स्नातकोत्तर (LL.M) उपाधि धारक होने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के आवेदनपत्र में भी वर्णित किया है।

अतः माननीय महोदय से सादर प्रार्थना है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रार्थीया को पदभार ग्रहण करने की दिनांक 15.11.2019 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय मेंहगाई भत्ता प्रदान करने हेतु समुचित आदेश पारित करने के लिए प्रार्थीया का उक्त प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक 04.01.2020

Forwarded
BULANDSHAHAR JUDGESHIP
Dated 04.01.2020
District Judge
Bulandshahr

भवदीया
Neetika
04/01/2020

(नीतिका राजपूत),
अपर सिविल जज (अवर खण्ड),
न्याय.कक्ष संख्या-08,
बुलन्दशहर।

01. विधि स्नातकोत्तर परीक्षा के अंकपत्र की छायाप्रति
02. विधि स्नातकोत्तर उपाधि की छायाप्रति

el